संख्या-155/2018/2507/41-2018-69 (बजट)/2018

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ

पर्यटन अनुभाग — लखनऊ, दिनांक 31 अगस्त, 2018

विषय- जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ में स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में अतिथि गृह के निर्माण के सम्बन्ध में भूमि क्रय किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-2210/6-1-1(959)/2018, दिनांक 12 जुलाई, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ में स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में अतिथि गृह के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्तावित भूमि ख०ख०सं०-52 के खसरा संख्या-800 रकवा 49.752 हेक्टेयर भूमि मध्ये 0.401 हेक्टेयर भूमि का क्रय किये जाने हेतु रूपये 2,59,41,091.00 (रूपये दो करोड़ उनसठ लाख इकतालीस हजार इक्यानवे मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उपयुक्त कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि के क्रय हेतु राजस्व अनुभाग-2, देहरादून के शासनादेश संख्या-999/**XVIII(II)**/2018-01(11)/1918 दिनांक 22 जून, 2018 में अंकित समस्त शर्तों/औपचारिकताओं/वित्तीय एवं राजस्व नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा यथावश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2018/बी0-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त भूमि का क्रय जिलाधिकारी चमोली के माध्यम से निर्धारित शर्तों का अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त भूमि के क्रय हेतु किसी अन्य योजना/स्रोतों से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(6) प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये शर्तो एवं प्रतिबन्धों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि धनराशि अप्रयुक्त रहती है तो दिनांक 31 मार्च 2018 तक शासन को समर्पित कर दी जाय।

3- उक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रूपये 2,59,41,091.00 (रूपये दो करोड़ उनसठ लाख इकतालीस हजार इक्यानवे मात्र) का वहन चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-पर्यटक आवास गृहों के लिए भूमि की अध्याप्ति-24-वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी0-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव ।

संख्या-155/2018/2507(1)/41-2018-69 (बजट)/2018 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
3- प्रमुख राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5- सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7- जिलाधिकारी, चमोली।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि० लखनऊ।
9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7, उ०प्र० शासन।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in